प्रेषक,

वी0के0 शर्मा
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–826/15–10–12–47(2)/12टी.सी.

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–10

लखनऊः दिनांक 22 अगस्त, 2012

विषयः प्रदेश में 'कन्या विद्या धन योजना' लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाईस्कूल उत्तीर्ण ऐसी छात्रायें जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'कन्या विद्या धन योजना' वर्ष 2012 से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानक एवं शर्तें पूर्ण करने वाली आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रायें उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हों और ऐसी छात्रायें जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 30,000/– की धनराशि एक मुश्त प्रदान की जायेगी।

3– कन्या विद्या धन योजना हेतु मानक एवं शर्तें निम्नवत है :–

1– वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने वाली छात्रा जिनके परिवार की सकल आय रू0 35,000/– से अनधिक हो। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार की बालिकाओं को वरीयता दी जायेगी।

2– चयनित छात्रा को देय धनराशि जनपदीय समिति के माध्यम से उनके द्वारा खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में अन्तरित की जायेगी अथवा एक समारोह में जनपद के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में एकाउन्ट पेयी चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जायेगी।

3– चयनित छात्रा को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक मुश्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 30,000/– प्रदान की जायेगी।

4– छात्राओं से आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रादेशिक स्तर पर विज्ञापित कर आमंत्रित किया जायेगा।

5– छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र उक्त विद्यालय जहाँ से छात्रा ने संस्थागत छात्रा के रूप में कक्षा–12 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा संस्तुत एवं अग्रसारित करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

6– आवेदन पत्र के साथ इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा 2012 की प्रमाणित अंक तालिका एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक आय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की कम्प्यूटरीकृत सूची दैनिक आधार पर अपने कार्यालय में रखी जायेगी, जो किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु माँगे जाने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7– योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख–रखाव जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर सम्पादित किया जायेगा।

8– इस योजना का लाभ छात्रवृत्ति या अन्य योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के अतिरिक्त होगा।

4– योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा मानकानुसार चयन करने हेतु निम्नवत् चयन समिति का गठन किया जायेगा :–

1– जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3– वरिष्ठ अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
5– जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
6– जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0	सदस्य
8– जिलाधिकारी द्वारा नामित राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य	सदस्य
9– जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के एक प्रधानाचार्य	सदस्य

5– योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं का चयन/भुगतान की कार्यवाही संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6– प्रश्नगत योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाएगी । अतएव योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत की सीमा तक व्यय प्रशासकीय मद में योजना के क्रियान्वयन, अभिलेखों के रख–रखाव तथा वितरण इत्यादि हेतु अनुमन्य किया जायेगा। इसको व्यय करते समय मितव्ययिता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा इसकी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

7– योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट को देखते हुए लाभार्थियों के लक्ष्य जनपदवार निर्धारित किया जाये और पात्र छात्राओं के परिवारों की आय को आधार मानते हुए आरोही क्रम में सूची बनाकर लक्ष्य के अनुरूप पात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। लाभार्थियों की संख्या को आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

8– उपरोक्त के क्रम में तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :–

(1) कन्या विद्या धन योजना हेतु आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(2) ज़िला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु सुचारू रूप से व्यवस्था कराये जाने हेतु निर्देश दिया जाना अपेक्षित है, जिससे आवेदित करने वाली छात्रायें अपने आवेदन पत्र सुचारू रूप से जमा कर सकें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी स्वविवेक से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त कन्या विद्या धन से संबंधित आवेदन पत्रों को यथा आवश्यकतानुसार अन्यत्र जमा कराये जाने की व्यवस्था हेतु निर्देश दे सकते हैं।

(3) आवेदन पत्रों की प्राप्ति के साथ ही साथ उनके सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 20 सितम्बर, 2012 निर्धारित की जाती है।

(5) समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को अपने स्तर से यह निर्देश जारी कर दें कि छात्रा के अभिभावक को पारिवारिक आय निर्धारण के संबंध में आय–प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठाकन संख्या–826(1)/15–10–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, इलाहाबाद।(शिक्षा निदेशक)

3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 (शिक्षा निदेशक (मा0) के माध्यम से)।

4— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।(शिक्षा निदेशक (मा0) के माध्यम से)

5— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन।

6— शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
उप सचिव।

''कन्या विद्या धन योजना'' वर्ष 2012–13 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. छात्रा का नाम ....
2. माता / पिता / पति का नाम ....
3. (क) छात्रा का स्थाई पता ....
....
(ख) पत्र व्यवहार का पता ....
....
4. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम व खाता संख्या (यदि कोई हो)..........................
5. क्या आवेदक अनुसूचित जाति का है, यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
6. जन्म तिथि ....
7. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष ....
8. बोर्ड का नाम..
9. विद्यालय का नाम, जहाँ से इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की..............................
....
10. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न करें)........................
11. अभिभावक का व्यवसाय..
कार्यरत स्थान का पता..
मोबाइल नं0 (यदि कोई हो)..

छात्रा की घोषणा

मैं, घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाएं एवं विवरण पूर्णतः सत्य है।

(प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

माता–पिता / अभिभावक की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो मेरे पाल्य आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति न होगी।

(माता–पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या का सत्पायन

सत्यापित किया जाता है कि कु0..पुत्री .... निवासी .... मेरे संस्था की संस्थागत छात्रा रही है और वर्ष 2012 में इनके द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है। इनके द्वारा भरा गया समस्त विवरण सत्य है।

(प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर सहित मुहर)

टिप्पणी :– अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करने का अंक पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।